डॉ० श्री अजय कुमार सिंह, माननीय स.वि.प. से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना सं.01/212/18 से उद्भूत आश्वासन सं. 5/20 से संबंधित

अद्यतन अनुपालन प्रतिवेदनः-

प्रश्न	उत्तर प्रतिवेदन/आश्वासन	अद्यतन अनुपालन प्रतिवेदन
सुपौल जिले के सुपौल प्रखंड के तेलवा और गोपालपुर सिरे पंचायत के निवासी कोसी नदी के कटाव से परेशान हैं ? गोपालपुर सिरे में निर्माण हो रहे हाई स्कूल पर भी नदी के कटाव का खतरा मंडरा रहा है ? निर्मली प्रखंड के मझारी से एक सुरक्षा बाँध मरौना प्रखंड होते हुए सुपौल प्रखंड के नकटा ग्राम के वार्ड संख्या 6 तक निर्मित है ? अगर इस सुरक्षा बांध को नकटा के वार्ड संख्या 7 से होते हुए गोपालपुर सिरे से सोनवर्षा टोला होकर मधुबनी जिले के फुलपरास के मधेपुर प्रखंड के महपतिया पंचायत से झरबा तक एक्सटेंशन देकर निर्मित किया जाय तो यह जनहित में बडा कदम होगा ? अतः मैं लोकहित में उपर्युक्त वर्णित सुरक्षा बांध के एक्सटेंशन हेतु सरकार से स्पतष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।	वस्तुस्थिति यह है कि मंझारी से सुपौल प्रखंड के नकटा ग्राम तक विस्तारित सिकरहट्टा-मंझारी निम्न बाँध (कुल लम्बाई-26.275 कि0मी0) निर्मित है। इसके अधोधार में कोशी नदी की एक धारा प्रवाहित होती है, जो कोशी नदी के मुख्य पश्चिमी कोशी तटबंध के कि0मी0 33.00 पर (किरतपुर ग्राम, जिला दरभंगा) मिलती है। सुपौल प्रखण्ड के नकटा से मधेपुर प्रखण्ड के देवका के बीच नदी के पश्चिमी तट पर बसे महपतिया, सोनवर्षा, गोनवा, गोपालपुर सिरे आदि ग्रामों की नदी की धारा से औसतन दूरी 80 मी0 से 100 मी0 के बीच है। इन ग्रामों के समीप नदी की धारा का झुकाव पश्चिम की ओर है, जो बाढ़ अवधि में काफी आक्रामय रहती है। मधेपुर प्रखण्ड के देवका ग्राम से नवहट्टा प्रखण्ड के झरबा ग्राम तक तटबंध विस्तारिकरण हेतु किसी भी परिस्थिति में नदी की धारा को अवरूद्ध करना होगा। कोशी नदी के सतत् परिवर्तनशील धारा के मद्देनजर प्रश्नगत ग्रामों के सुरक्षार्थ नदी तट पर प्रश्नगत तटबंध विस्तारीकरण कार्य तकनीकी दृष्टिकोण से संभाव्य नही है। **<u>आश्वासनः</u>- नकटा सितुहर में वार्ड नं०-06 में जो स्कूल है, उसके कटाव का खतरा उत्पन्न हो गया है, उसे बचाने का उपाय करेंगे।**	वस्तुस्थिति यह है कि जिला सुपौल के नकटा सितुहर वार्ड नं०-06 में कोई विद्यालय पूर्व से संचालित नहीं है। स्थल निरीक्षण के क्रम में ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में एक विद्यालय वार्ड नं०-07 (सोनवर्षा टोला) में शिवनंदन मंडल के निजि भूमि में संचालित है, जो कोशी नदी के मुख्य धारा से 100 मी0 की दूरी पर अवस्थित है। निजि भूमि में संचालित विद्यालय के समीप वर्तमान में कटाव परिलिक्षित होने पर आवश्यक बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर सुरक्षित रखा गया है। उक्त के आलोक में इस आश्वासन को सूची से विलोपित करना चाहेंगे।

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(वी0)–12–02 / 2026– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि– उप सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, बिहार, पटना को 212वें सत्र में उनके ज्ञापांक–490(6) दिनांक–10.04.2026 से प्राप्त ध्यानाकर्षण प्रश्न सं0–01 / 212 / 19 से उदभूत आश्वासन सं0–05 / 26 का उत्तर प्रतिवेदन (पाँच प्रति) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(वी0)–12–02 / 2026– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(वी0)–12–02 / 2026– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– अवर सचिव, प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–25 / वि0प0आ0(वी0)–12–02 / 2026– 4436 पटना, दिनांक– 06/10/2026
प्रतिलिपि– कार्यपालक अभियंता, आई0 टी0 सेंटर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

06.10.26
(अनुप रंजन पाण्डेय)
सरकार के अवर सचिव
06.10.26